भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2958
(दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

सामुदायिक रेडियो सेवाओं का विस्तार

2958. श्री तारिक अनवरः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक रेडियो सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और वर्ष 2023-24 से अब तक उनके प्रचालन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और जन जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभावकारिता की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार बिहार जैसे सामाजिक और भाषाई विविधता वाले क्षेत्रों विशेषकर सीमांचल क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो सेवाओं का विस्तार करने, नए स्टेशनों की स्थापना करने और जनहित प्रसारण को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने अथवा विशेष पहल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने "भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की श्रोता संख्या, पहुंच, प्रभावशीलता और वित्तीय स्थिरता" पर एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन के माध्यम से सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थिति और पहुंच का मूल्यांकन किया है। अध्ययन रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट https://mib.gov.in/ पर उपलब्ध है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को 'भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता नामक' केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य संसाधनों,

क्षमता और प्रौद्योगिकी के माध्यम से नए और मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) को सुदृढ़ करना है। स्कीम के प्रमुख घटकों में नए और मौजूदा सीआरएस के लिए उपकरणों की खरीद या प्रतिस्थापन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना और सामुदायिक रेडियो ऑपरेटरों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण शामिल है। इस स्कीम को 50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की कम से कम 50 प्रतिशत सामग्री सामुदायिक भागीदारी से तैयार की जानी चाहिए, जिसमें से कम से कम आधी सामग्री महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित हो और इसे अधिमानतः स्थानीय भाषा और बोलियों में होना चाहिए।

वर्तमान में, देश में 565 सीआरएस प्रचालनरत हैं। सभी चालू सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का राज्यवार विवरण और वर्ष 2021-2026 की योजना अवधि के दौरान बिहार सहित सीआएस को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट https://mib.gov.in पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से अब तक, बिहार के गोपालगंज, सहरसा, वैशाली और सिवान जिलों के चार सीआरएस सहित कुल 128 सीआरएस को 12.31 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, जागरूकता सृजित करने और ज्ञान के साझाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रालय इस स्कीम के अंतर्गत देश भर में कार्यशालाएं, सेमिनार और क्षेत्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। ऐसी एक जागरूकता कार्यशाला जनवरी 2024 में पटना, बिहार में आयोजित की गई थी।
